

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
पत्रांक-935/14-1 रामपुर दिनांक 08 अक्टूबर 2018।

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- रामपुर में बिलासपुर-अहरो मार्ग किमी० चैनेज 15.018 की दायीं पटरी पर ग्राम अहरो के खसरा संख्या-318 व 321 पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0प०726305 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 428/रामपुर/34003/2018 दिनांक 24.08.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।
1:-वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी रामपुर का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-48 पर संलग्न है।
2:-क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थल के आस-पास छोटी-छोटा झाड़िया हैं। जो क्षतिपूरक वनीकरण के समय साफ हो जायेगी। अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल यथावत रहेगा। kml file के अनुसार चिन्हित स्थल की टोपोशीट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-35 ए पर संलग्न है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।